न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 134/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/18

उनवान

1. खूबीराम उर्फ जीतेन्द्र पुत्र श्याम सिंह ब्राहम्ण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र श्रीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।
.....असल रेस्पोंडेंट ।
2. संतोष पुत्र श्याम सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी गॉवडी तहसील व जिला भरतपुर।
3. खगेन्द्र
4. भूदेव उर्फ नीतेन्द्र } पुत्र श्याम सिंह
5. मोहन
6. केला
7. हरजू उर्फ हरप्रसाद पुत्र लक्खी
8. विरजू उर्फ बृजेश पुत्र लक्खी
9. विहारी पुत्र रामस्वरूप
10. मंगल पुत्र रामस्वरूप
11. सूखा पुत्र रामस्वरूप
12. रामदेई वेवा लक्खी
13. पिरमा पुत्र धर्मपाल
14. प्रभू पुत्र सुखराम(मृतक)
    - 14/1. विद्या वेवा प्रभू
    - 14/2. प्रेमचन्द पुत्र प्रभू
    - 14/3. दिनेश चन्द पुत्र प्रभू
    - 14/4. मुंशी पुत्र प्रभू
    - 14/5. बालो पुत्र प्रभू
    - 14/6. मुरारी पुत्र प्रभू
    - 14/7. ममता पुत्री प्रभू
    - 14/8. भगवती पुत्री प्रभू
15. गोपाल पुत्र सुखराम

जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।

16. श्रीमान् तहसीलदार साहब/सब रजिस्ट्रार तहसील डीग भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

17. पंजाब नेशनल बैंक शाखा जनूथर तहसील डीग जरिये शाखा प्रबन्धक।
18. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा डीग जरिये शाखा प्रबन्धक।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 17.08.2017 प्र.संख्या 261/12 उनवानी खगेन्द्र बनाम राजेन्द्र वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–13.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी उभयपक्षकारान की शामिल कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। वर्तमान में उभयपक्षकारान में शामिल काश्त करने में आये दिन झगडा होता रहता है। अतः विवादित आराजी का उभयपक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं मिला, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय में केवल संतोष हाजिर हुआ, शेष की तलवी ही नहीं हुयी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को प्राथमिक डिक्री कर दिया। इसी आराजी बाबत् गीता ने हकत्याग को चुनौती देते हुये दूसरा दावा कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में गीता के दावे के विचाराधीन रहते हुये रैस्पो0 संतोष को विभाजन की दादरसी नहीं दी जा सकती। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के ऊपर कोई सम्मन की तामील नहीं हुयी। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। जैसे ही जानकारी हुयी, अपील प्रस्तुत कर दी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील खगेन्द्र पुत्र श्री श्याम सिंह ने प्रस्तुत की थी एवं उस अपील में खूबीराम रैस्पो0 संख्या 04 के रूप में पक्षकार था और दिनांक 15.03.2018 को खूबीराम अपीलाण्ट पर उक्त अपील के सम्मनो की तामील हुई थी परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ था। शेष रैस्पो0 की न्यायालय के आदेश अनुसार तामील नहीं कराने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील को अदम तकमील में खारिज कर दिया। इस प्रकार खगेन्द्र की अपील फैसल हो गयी। इसके बाद खूबीराम ने पुनः अपीलाधीन आदेश की अपील, पूर्व अपील के तथ्यों को छुपाते हुये प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट केवल प्रकरण को लम्बा खींचना चाहते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायायिक नजीर आरआरटी 2001(2) पेज 855, 2006–07 पेज 165, 1999 पेज 152, आरएलडब्ल्यू 2014(1) पेज 50, डीएनजे राज0 2003(3) पेज 1266 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.09.2018 को लगभग एक वर्ष एक माह की देरी से प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला एवं ना ही उन पर अधीनस्थ न्यायालय के कोई सम्मन की तामील हुयी। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेशा की जानकारी नहीं हो पायी। सर्वप्रथम अपीलाण्ट को दिनांक 19.08.2018 के दिन रैस्पो0 के द्वारा धमकी दिये जाने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुयी। तत्पश्चात् नकल आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत की गयी है। हमने मनन किया। न्यायालय का ध्येय पक्षकारो को न्याय उपलब्ध कराना है। अतः हम न्यायहित में तकनीकी बिन्दु पर वादकरण समाप्त करने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण वांछनीय समझते हैं। लिहाजा अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब पर उदार दृष्टि अपनाकर, क्षमा करते हुए अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.09.2013 में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 13 बाबजूद इत्तला सम्मन उपस्थित अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। परन्तु उक्त आदेशिका में कही भी यह स्पष्ट अंकित नहीं है उक्त प्रतिवादियों के सम्मन स्वयं पर तामील हुये/परिवारजनो पर तामील हुये अथवा चस्पांदगी से तामील हुये। नियम व न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में इसे समुचित तामील नही माना जा सकता है। इसके अलावा आदेशिका दिनांक 03.08.2012 में प्रकरण वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में विचाराधीन होकर अग्रिम पेशी दिनांक 17.08.2017 नियत की गयी है। परन्तु अग्रिम पेशी दिनांक 17.08.2017 को प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द किये बिना ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की दी गयी, जो न्यायिक प्रक्रिया अनुसार तर्कसंगत नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर दिनांक 02.12.2016 को तनकीयात कायम हुयी हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तनकीवार नहीं है। आर्डर 20 रूल 5 सी.पी.सी. के अनुसार तनकीयात कायम होने पर प्रकरण का निस्तारण तनकीवाईज होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर कारण सहित अपना निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को कानूनसम्मत नही माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2017 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण पुनः उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर